



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी10 एस0 आई0 फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्र0— छ0ग0/ रायपुर/चू0प0— 38 छ0ग0 14024

दिनांक :— 16 / 12 / 2020

प्रति,

श्री के0 सी10 झांवर, नामित मालिक एवं उप प्रबंध निदेशक,
सर्वश्री अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड,
“बी विंग”, अहुरा सेन्टर, प्रथम तल, महाकाली केव रोड,
अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई (महाराष्ट्र)-400093
ईमेल:- kailash.jhanwar@adityabirla.com

विषय:— छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित आपकी सेन्चुरी सीमेन्ट चूनापथर खदान क्षेत्रफल 74.843 हेक्टेएर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 06/11/2020 को श्री आर0 पी0 एस0 भाटिया, खान प्रबंधक एवं श्री शिशिर कुमार ताम्रकार, खनन अभियंता की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है :—

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत व्यौरा
Rule 45 (7)	<p>Annual Return F.Y. 2019-20:</p> <p>1) Part – V; General Geology & Mining (Sec 1/2 for Limestone); Sec 4. Mineral Rejects for Limestone; 154536.00 Metric Tonnes of below 34% CaO ore/mineral has been mentioned under Mineral Reject which is incorrect and same has been utilised for backfilling in the mined out area. Below threshold value of the mineral/ore is waste, hence, this quantity should be shown in Part – V; General Geology & Mining (Sec 1/2 for Limestone); 4. Mining operations during the year; 4.2 Open cast; (A) Details of Benches (Separately for mechanised and manual sections); C) Total quantity of Overburden/Waste removed during the year (tonnes)</p> <p>2) Part - VI (Production, Dispatches And Stock); 5. Sales/Dispatches effected for Domestic Consumption and for exports(LIMESTONE): Since the entire produced limestone has been used in the Captive Plant hence, sale value should be mentioned as ‘Zero’.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम संख्या 45(7) के अंतर्गत :—

- (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ हेतु :—

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र) — 440001

कृपया..2.

2. उप महानिदेशक (सांख्यिकी), खनन एवं सांख्यिकी प्रभाग, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)–440001
3. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर (छत्तीसगढ़) – 492002
4. श्री बी० पी० मिश्रा, खान एजेन्ट एवं वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट (माइन्स), सर्वश्री अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, सेन्चुरी चूनापत्थर खदान, पो०-बैकुण्ठ, जिला— रायपुर, (छत्तीसगढ़) – 493116

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर